विज्ञापन सं. 2/2020

भारत की संसद

(भर्ती शाखा, लोक सभा सचिवालय)

लोक सभा सचिवालय में **संसदीय भाषांतरकार [पे मैट्रिक्स के स्तर 10 (56100-177500 रुपये के वेतनमान में)]** के निम्नलिखित रिक्त पदों को सीधी भर्ती के आधार पर भरने के लिए पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन **(केवल ई-मेल के माध्यम से)** आमंत्रित किए जाते हैः-

अनु. जाति	अनु.जन.जाति	अ.पि.वर्ग	अनारक्षित	ई.डब्ल्यू.एस.	कुल
02	शून्य	04	05	01	12*
**07 अंग्रेजी/हिंदी भाषा के भाषांतरकार और 5 क्षेत्रीय भाषाओं अर्थात डोगरी, कश्मीरी, कोंकणी, संथाली और सिंधी भाषा का एक-एक भाषांतरकार।*					

2. शैक्षिक योग्यताएं, अनुभव और ऊपरी आयु सीमा

अंग्रेजी/हिंदी भाषांतरकारों के लिए: शैक्षिक योग्यताएं: स्नातक स्तर तक हिंदी माध्यम* से अध्ययन के साथ-साथ अंग्रेजी भाषा में स्नातकोत्तर डिग्री **या** स्नातक स्तर तक अंग्रेजी माध्यम* से अध्ययन के साथ-साथ हिंदी भाषा में स्नातकोत्तर डिग्री | **वांछनीय :** (1) अनुवाद या भाषांतरण कार्य का अनुभव; और (2) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)/ राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी) द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर कोर्स में प्रमाण पत्र या एनआईईएलआईटी द्वारा यथा निर्धारित पाठ्यक्रम और कोर्स की अवधि के अनुरूप 'ओ' लेवल के समकक्ष कोर्स | **ऊपरी आयु सीमा: 27 वर्ष** |

क्षेत्रीय भाषा के भाषांतरकारों के लिए: शैक्षिक योग्यताएं: स्नातक स्तर तक संबंधित क्षेत्रीय भाषा के साथ अंग्रेजी या किसी अन्य विषय (अध्ययन के माध्यम* के रूप में अंग्रेजी के साथ) में स्नातकोत्तर डिग्री | **वांछनीय :** (1) अनुवाद या भाषांतरण कार्य का अनुभव; और (2) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)/ राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी) द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर कोर्स में प्रमाण पत्र या एनआईईएलआईटी द्वारा यथा

निर्धारित पाठ्यक्रम और कोर्स की अवधि के अनुरूप 'ओ' लेवल के समकक्ष कोर्स | **<u>ऊपरी आयु सीमा: 35 वर्ष</u>** |

<u>अंग्रेजी/हिंदी भाषा के भाषांतरकारों के लिए स्नातक स्तर तक</u> और <u>क्षेत्रीय भाषा के भाषांतरकारों के लिए स्नातकोत्तर</u> में 'अध्ययन के माध्यम' के संबंध में आवेदन पत्र में आवेदकों का दावा स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री के मामले में संबंधित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार या परीक्षा नियंत्रक/ कॉलेज के प्राचार्य और 10वीं तथा बारहवीं कक्षा या समकक्ष शैक्षिक योग्यता के मामले में बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक या अन्य किसी सक्षम अधिकारी/ स्कूल के प्राचार्य से एक प्रमाण पत्र की **स्कैन की हुई एक स्व-अनुप्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी, <u>जिसमें संबंधित योग्यता के संबंध में अध्ययन के माध्यम का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो</u> | **<u>यदि आवेदक द्वारा वांछित प्रमाण पत्र की स्कैन की हुई प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की जाती है तो उसका आवेदन तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा</u>** |*

<u>टिप्पणी</u> :

(एक) संसदीय भाषांतरकार के रूप में नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को लोक सभा सचिवालय द्वारा यथा विहित अवधि के लिए भाषांतरण कार्य में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा | उन्हें प्रवीणता के विहित मानक के अनुसार भाषांतरण की दो विभागीय परीक्षाएं अर्थात् पहली दो वर्ष की सेवा के पश्चात तथा दूसरी तीन वर्ष की सेवा के पश्चात, भी उत्तीर्ण करनी होंगी | नियुक्त भाषांतरकार जब तक उक्त विभागीय भाषांतरण परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होंगे उनकी वरिष्ठ संसदीय भाषांतरकार के पद, जो रिक्त पद (पदों) की उपलब्धता के अध्यधीन होगा, पर पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया जाएगा |

(दो) उनसे समय-समय पर गैर-भाषांतरण सेवाएं भी ली जा सकेंगी |

3. <u>चयन प्रक्रिया</u>:

पात्र अभ्यर्थियों को निम्नलिखित योजनानुसार वाक्-कौशल परीक्षा/ लिखित परीक्षा/ साथ-साथ भाषांतरण परीक्षा/ व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा :

I. **वाक्-कौशल परीक्षा:** अभ्यर्थियों के वाक्-कौशल की परीक्षा ली जाएगी जो **200 अंक** की होगी | इस परीक्षा के दौरान क्षेत्रीय भाषा के भाषांतरकार के पद के अभ्यर्थी को दिए गए सात विषयों में से किसी एक विषय पर 3 मिनट के लिए अंग्रेजी भाषा में बिना तैयारी के बोलना होगा | तथापि, अंग्रेजी/हिंदी भाषांतरकार के पद के अभ्यर्थी को दिए गए अंग्रेजी के 7 और हिंदी के 7

विषयों में से किसी एक विषय पर 3 मिनट अंग्रेजी में और 3 मिनट हिंदी में बोलना होगा | इस परीक्षा का उद्देश्य अभ्यर्थियों की भाषा के प्रवाह, भाषा की विषय-वस्तु, शैली, उच्चारण और लहजे, सार और उनकी आवाज का आकलन करना है |

II. **लिखित परीक्षा:** अपेक्षित मानदंडों के अनुसार वाक्-कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को ही लिखित परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति होगी | लिखित परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न पत्र होंगे:

क) **क्षेत्रीय भाषा के भाषांतरकारों हेतु-** (एक) सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाक्रम; सामान्य अंग्रेजी; और संबंधित सामान्य क्षेत्रीय भाषा- प्रत्येक विषय पर 50 बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न- **150 अंक** (75 मिनट) **और** (दो) संबंधित भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद- **200 अंक** (1 घंटा) |

ख) **अंग्रेजी/हिंदी भाषांतरकारों हेतु-** (एक) सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाक्रम; सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी प्रत्येक विषय पर 50 बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न- **150 अंक** (75 मिनट) और (दो) अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद- **100 अंक** और हिंदी भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद- **100 अंक** (2 घंटे) |

अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों और उनके भागों को अपेक्षित मानकों के अनुसार उत्तीर्ण करना होगा | केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र-दो की जांच की जाएगी जिन्होंने प्रश्नपत्र-एक के प्रत्येक भाग में न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त किए होंगे | लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को ही साथ-साथ भाषांतरण परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी | इससे पहले उन्हें साथ-साथ भाषांतरण में एक या दो दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा | प्रशिक्षण की तिथि और समय के बारे में अभ्यर्थियों को कॉल लेटर के *माध्यम* से बताया जाएगा |

III. **साथ-साथ भाषांतरण परीक्षा हेतु:** (एक) क्षेत्रीय भाषा के भाषांतरकारों हेतु- संबंधित भाषा से अंग्रेजी भाषा में भाषांतरण (10 मिनट) जिसके **200 अंक** होंगे; तथा (दो) अंग्रेजी/हिंदी भाषांतरकारों हेतु- अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में भाषांतरण (5 मिनट) जिसके **100 अंक** होंगे और हिंदी भाषा से अंग्रेजी भाषा में भाषांतरण (5 मिनट) जिसके **100 अंक** होंगे | अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का आकलन पांच विशिष्ट मानदंडों के आधार पर किया जाएगा अर्थात् विषय का कवरेज; भाषा की शुद्धता; शैली और शब्द चयन; भाषांतरण की निरंतरता; तथा आवाज, उच्चारण और लहजा |

साथ-साथ भाषांतरण परीक्षा में यथापेक्षित मानकों के अनुरूप उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को ही व्यक्तिगत साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी |

IV. **व्यक्तिगत साक्षात्कार:** व्यक्तिगत साक्षात्कार के **50 अंक** होंगे | अभ्यर्थियों को यथापेक्षित मानकों के अनुरूप व्यक्तिगत साक्षात्कार में उत्तीर्ण होना होगा |

व्यक्तिगत साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों में से, वाक्-कौशल परीक्षा, लिखित परीक्षा, साथ-साथ भाषांतरण परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार में अभ्यर्थियों के समग्र प्रदर्शन और रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर उनका चयन किया जाएगा।

लिखित परीक्षा और/अथवा व्यक्तिगत साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने के लिए और/अथवा ऊपरी आयु सीमा अपनी श्रेणी का लाभ लेने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित पदों पर नियुक्ति के हकदार नहीं होंगे |

4. <u>परीक्षा का स्थान:</u>

अंग्रेजी/हिंदी भाषा की परीक्षा दिल्ली में होगी; डोगरी भाषा की जम्मू में; कश्मीरी भाषा की श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर); कोंकणी भाषा की पणजी (गोवा); संथाली भाषा की रांची (झारखंड); और सिंधी भाषा की गांधीनगर (गुजरात) या मुंबई (महाराष्ट्र) में परीक्षा **होगी जिसके लिए सिंधी भाषा के पात्र उम्मीदवार परीक्षा स्थल के संबंध में अपनी प्राथमिकता दे सकते हैं |**

परीक्षा(ओं) के सही स्थान/केंद्र की जानकारी पात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी करने के समय दी जाएगी | यदि किसी भाषा के अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम है तो संयुक्त भर्ती प्रकोष्ठ उस भाषा की परीक्षा दिल्ली में आयोजित करा सकता है |

5. <u>आवेदन कैसे करें</u>

I. पात्र अभ्यर्थियों को उपरोक्त पदों हेतु इस विज्ञापन में दिए गए निर्धारित प्रारुप में ही हिंदी अथवा अंग्रेजी में आवेदन पत्र भेजने हैं। अभ्यर्थी इस प्रारूप का प्रिंट आउट भी निकाल सकते

हैं। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के विभिन्न कॉलमों को सावधानीपूर्वक भरने की सलाह दी जाती है। यह सुनिश्चित करने की पूरी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी कि वह पात्रता मानदंडों को पूरा करता/करती है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भरने के पश्चात आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन पत्र को स्कैन कर ले तथा recruitment-lss@sansad.nic.in ई-मेल पते पर उसे ई-मेल कर दें। परीक्षा के सभी चरणों में अभ्यर्थियों का प्रवेश पूरी तरह से निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन होगा।

यदि अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी किसी भी चरण में झूठी या गलत पाई जाती है अथवा उसे इस विज्ञापन में उल्लिखित आवश्यक पात्रता शर्तों के अनुसार नहीं पाया जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी/नियुक्ति को रद्द/समाप्त कर दिया जाएगा। आवेदकों को यह चेतावनी भी दी जाती है कि यदि वे किसी पद की पात्रता के लिए या अ.जा./ अ.ज.जा./अ.पि.व./ईडब्ल्यूएस/भूतपूर्व सैनिक होने का फर्जी दावा करते हैं तो उन्हें लोक सभा सचिवालय द्वारा आयोजित की गई/ आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में भाग लेने से स्थायी रूप से विवर्जित किया जा सकता है और/अथवा उनकी नियुक्ति रद्द की जा सकती है।

II. ऐसे आवेदन, जो पठनीय नहीं हैं और विज्ञापन में विहित अनुदेशों के अनुरूप नहीं हैं अथवा निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त हुए हैं, उन्हें तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

III. सरकारी सेवा में कार्यरत अभ्यर्थी अपने आवेदन **उचित माध्यम से** केवल ई-मेल द्वारा **ही** भेजें। ऐसे आवेदन निर्धारित अंतिम तिथि से 7 दिन के बाद स्वीकार नहीं किए जाएंगे ।

IV. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र और उपस्थिति पत्र पर चिपकाए गए फोटोग्राफ,समान होने चाहिए।

V. किसी भी तरह की अनुयाचना किए जाने पर किसी भी स्तर पर आवेदन और उम्मीदवारी को तत्काल रद्द कर दिया जाएगा।

VI. आवेदक द्वारा दिए गए सभी विवरण (सिवाय आवासीय पते के) अंतिम समझे जाएंगे **और बाद में उनमें किसी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।** जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन-पत्र की क्रम सं. 11 में अपनी श्रेणी का उल्लेख नहीं किया है, उनके आवेदन रद्द कर दिए जायेंगे।

VII. आवेदक आवेदन-पत्र के सभी कॉलम विधिवत रूप से भरें। सभी आवश्यक विवरणों सहित आवेदन-पत्र की स्व-हस्ताक्षरित एकल / समेकित स्कैन की गयी पीडीएफ फ़ाइल को आवश्यक अनुलग्नकों सहित **recruitment-lss@sansad.nic.in** पर ई-मेल के **माध्यम** से भेजा जाना अपेक्षित है। संलग्न की गयी स्कैन पीडीएफ फ़ाइल के नाम में अनिवार्य रूप से आवेदक के नाम और उसकी जन्म तिथि का उल्लेख किया जाए।

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन / दस्तावेजों को विशेष रूप से **300** डॉट प्रति इंच (डीपीआई) अथवा उससे अधिक डॉट्स के पीडीएफ प्रारूप में ही स्कैन करें ताकि दस्तावेजों को स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सके। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे डाक या कूरियर के माध्यम से अथवा व्यक्तिगत रूप से अपना आवेदन-पत्र न भेजें।

टिप्पणी: आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र की केवल स्कैन की गई प्रतियां ही स्वीकार की जाएंगी। डिजिटल प्रारूप जैसा निर्दिष्ट किया गया है के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन-पत्र को तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा।

VIII. आयु/अर्हताएं/अनुभवः आयु/अर्हताएं/अनुभव का निर्धारण 18.08.2020 की स्थिति के अनुसार किया जाएगा।

(क) अभ्यर्थियों को अपने प्रमाण पत्रों, डिग्रियों, अंक तालिकाओं आदि की स्कैन की हुई स्व-अनुप्रमाणित प्रतियां संलग्न करनी होंगी। जो अभ्यर्थी, दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध कर देते हैं कि अर्हक परीक्षा का परिणाम 18.08.2020 को या उससे पहले घोषित हो गया था और अभ्यर्थी को उसमें उत्तीर्ण घोषित किया गया है, तो यह माना जाएगा कि उस अभ्यर्थी के पास अपेक्षित योग्यता है। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में उल्लिखित प्रत्येक शैक्षिक योग्यता के संबंध में प्रमाणपत्र/डिग्री के साथ-साथ अंक तालिका(ओं) की स्कैन की हुई प्रतियां भी भेजनी होंगी। अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत साक्षात्कार के समय सत्यापन हेतु मूल प्रमाणपत्र/डिग्री, अंक तालिकाएँ आदि प्रस्तुत करने होंगे,ऐसा न करने पर अभ्यर्थी को व्यक्तिगत साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी विसंगति की स्थिति में, उसकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा।

(ख) जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में केवल मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपत्र को ही स्वीकार किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए किसी अन्य दस्तावेज को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि किसी आवेदक के मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपत्र में जन्मतिथि का उल्लेख नहीं है तो वह मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई स्व- अनुप्रमाणित प्रति के साथ अपने ऐसे किसी अन्य उच्च शैक्षिक योग्यता के प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई स्व-अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर सकते हैं जिसमें आवश्यक सूचना दी गई हो तथा इस आशय के एक शपथ-पत्र की स्कैन की हुई स्व-अनुप्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत करें कि संबंधित शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किए गए मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपत्र में जन्म की तिथि का उल्लेख नहीं है।

IX. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में भरा गया उसका नाम तथा उसके माता-पिता का नाम वही होना चाहिए जो मैट्रिक के प्रमाणपत्र में अंकित है। यदि आवेदन-पत्र और अभ्यर्थी द्वारा संलग्न किए गए स्कैन किए गए प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों में दर्ज अभ्यर्थी के नाम और/अथवा उसके माता-पिता के नाम में किसी प्रकार की विसंगति हो तो निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिएः

(एक) नाम में वर्तनी के कारण हुई किसी छोटी विसंगति के मामले में अर्थात (मोहन और मोहुन) अथवा (आर.माथुर और रमेश माथुर), इस आशय के शपथपत्र की स्कैन की हुई स्व-अनुप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जाए कि दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

(दो) किसी नाम के हिस्से/हिस्सों में कुछ जोड़ने अथवा हटाने जैसी बड़ी विसंगति के मामलें में यथा (राम कुमार और राम कुमार सिंह) अथवा (अजय कुमार और अजय कुमार सिंह राणा), इस आशय से जारी राजपत्र अधिसूचना की एक स्कैन की हुई स्व-अनुप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जाए कि अब से इस व्यक्ति ने अपने नाम में परिवर्तन कर लिया है।

(तीन) महाराष्ट्र राज्य द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र के मामले में कभी-कभी अभ्यर्थी के नाम के साथ उसके पिता और/अथवा माता का नाम भी जुड़ा होता है। ऐसे मामलों में इस आशय के शपथपत्र की एक स्कैन की हुई स्व-अनुप्रमाणित प्रतिलिपि प्रेषित की जाए कि दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

X. आयु सीमा में छूट :

ऊपर निर्दिष्ट की गयी ऊपरी आयु सीमा सामान्य श्रेणी/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए है । विभिन्न श्रेणियों, सरकारी कर्मचारियों, भूतपूर्व सैनिकों, तथा लोक सभा सचिवालय के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में निम्नवत छूट प्रदान की जाएगी :

क्रम सं	श्रेणी	यदि सरकारी सेवा में हैं	यदि सरकारी सेवा में नहीं हैं
(एक)	अ.जा.और अ.ज.जा.	10 वर्ष तक*	5 वर्ष *
(दो)	अ.पि.व.	8 वर्ष तक*	3 वर्ष*
(तीन)	सामान्य/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	5 वर्ष तक*	शून्य
(चार)	भूतपूर्व सैनिक**	सेना में सेवा की अवधि+3 वर्ष सामान्य/ईडबल्यूएस, अ.पि.वर्ग और अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा क्रमशः 45 वर्ष, 48 वर्ष 50 वर्ष है।	
(पाँच)	लोक सभा सचिवालय में कार्यरत कर्मचारी	कोई आयु सीमा नहीं बशर्ते कि अभ्यर्थी ने लोक सभा सचिवालय में तीन वर्षों की निरन्तर नियमित सेवा की अवधि पूरी कर ली हो।	

*इन वर्गों के लिए उपलब्ध/आरक्षित रिक्त पदों के संबंध में, यदि कोई हों। (इस विज्ञापन के पैरा 1 में अनुसूचित जनजाति हेतु किसी रिक्त पद का उल्लेख नहीं किया गया है।)

*** भूतपूर्व सैनिक को प्रमुक्ति पुस्तिका के संगत पृष्ठों की* ***स्कैन की गई*** *एक स्व-अनुप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी। अन्यथा अभ्यर्थी को इस आधार पर आयु सीमा में अनुमेय छूट नहीं दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिक का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसने किसी भी रैंक में, लड़ाकू अथवा गैर लड़ाकू किसी भी रूप में, भारत संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना अथवा वायु सेना में सेवा की हो, और;*

(एक) जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात वहाँ से सेवानिवृत्त हुआ हो। इसमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो अपनी पेंशन योग्य सेवा के पश्चात स्वयं के अनुरोध पर सेवानिवृत्त किए गए हों/हुए हों; अथवा

(दो) जिसे उसके अनुरोध के अलावा प्रतिष्ठान में छंटनी के परिणामस्वरूप किसी भी अन्य प्रकार से सेवामुक्त/सेवानिवृत्त कर दिया गया हो; अथवा

(तीन) जिसे उसके नियोजन की निश्चित अवधि पूरी करने पर सेवा से मुक्त कर दिया गया हो, लेकिन स्वयं के अनुरोध पर सेवानिवृत्त अथवा कदाचार या अयोग्यता के कारण सेवा से बर्खास्त अथवा सेवा से हटाया न गया हो और जिसे उपदान दिया गया हो।

सेना में अपनी सेवा के अंतिम वर्ष में कार्यरत सशस्त्र सैन्यकर्मी जिन्हें पुनःनियोजन प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की गई हो, भी आवेदन करने के पात्र हैं। (ऐसे आवेदकों को पुनः नियोजन प्राप्त करने हेतु अनुमति की ***स्कैन की गई*** *एक स्व-अनुप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी । अन्यथा उन्हें इस आधार पर आयु सीमा में अनुमेय छूट नहीं दी जाएगी ।)*

डीओपीटी के दिनांक 02.04.1992 के का.ज्ञा.सं.36034/6/90-स्था (एससीटी) और दिनांक 10.10.1994 के का.ज्ञा.सं.36034/6/90-स्था (एससीटी) के साथ पठित दिनांक 02.05.1985 के का.ज्ञा.सं. 36034/27/84-स्था (एससीटी) के अनुसार एक बार जब कोई भूतपूर्व सैनिक पुनः नियोजन के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में उसे प्रदान किए गए लाभों का उपयोग करने के पश्चात् कोई असैन्य सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेता है तो सरकार में पुनःनियोजन के उद्देश्य से उसका भूतपूर्व सैनिक का दर्जा समाप्त हो जाएगा। डीओपीटी के दिनांक 07.11.1989 के का.ज्ञा.सं.36034/21/87-स्था (एससीटी) के अनुसार ये प्रावधान उन भूतपूर्व सैनिकों पर लागू नहीं होंगे जिन्हें पुनः नियोजित किया गया है अथवा जिन्हें कैजुअल/संविदा/अस्थायी/तदर्थ आधार पर निजी कंपनियों/स्वायत्तशासी निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सरकारी कार्यालयों में पुनःनियोजित किया गया है तथा जिन्हें उनके संबंधित नियोक्ता द्वारा किसी भी समय ऐसी सेवा से हटाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, डीओपीटी के दिनांक 14.08.2014 के का.ज्ञा.सं.36034/1/2014-स्था (आर ई एस) में यह प्रावधान है कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक किसी सिविल रोजगार में कार्यभार ग्रहण

करने से पूर्व विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता है/करती है तो वह बाद में किसी भी रोजगार के लिए एक भूतपूर्व सैनिक के तौर पर आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकता/सकती है। हालांकि ऐसा लाभ प्राप्त करने हेतु भूतपूर्व सैनिक को किसी असैन्य सेवा में कार्यभार ग्रहण करते ही संबंधित नियोक्ता को उन विभिन्न रिक्तियों के लिए किए गए आवेदन के तिथि-वार विवरण से संबंधित स्व-घोषणा/वचनबंध देना चाहिए, जिसके लिए उसने आरंभिक असैन्य सेवा में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आवेदन किया था। **[ऐसे अभ्यर्थी अनुबंध-एक के अनुसार वचनबंध देंगे।]**

टिप्पणी : 1. सरकारी सेवा में कार्यरत अभ्यर्थी जिन्होंने **18.08.2020** को नियमित आधार पर न्यूनतम 3 वर्ष निरन्तर सेवा पूरी की हो और जो अंतिम रूप से चयन तक सेवा में बने रहते हैं, के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट है (जो उनकी निरन्तर सेवा की अवधि पर निर्भर है)।

2. उपर्युक्त पैरा दस में वर्णित उपबन्धों के अनुसार सरकारी कर्मचारी के रूप में आयु सीमा में छूट का दावा करने के लिए सरकारी सेवा अथवा लोक सभा और/अथवा राज्य सभा सचिवालयों की सेवा में कार्यरत आवेदक सरकारी सेवा में अथवा राज्य सभा सचिवालय में अथवा सरकार, लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों में की गई सेवा को एक साथ मिलाकर अथवा लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों में की गई सेवा को एक साथ मिलाकर 3 वर्षों की निरंतर नियमित सेवा पूरी कर चुके हों।

तदर्थ/दिहाड़ी/घंटों के हिसाब से पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले/संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति आयु सीमा में छूट के पात्र नहीं हैं।

3. नियमित असैन्य सरकारी सेवा में कार्यरत किसी भूतपूर्व सैनिक, जिसे एक असैन्य कर्मचारी माना जाता है, को कोई अन्य सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए अनुमेय आयु सीमा में छूट का लाभ लेने की अनुमति होती है।

ऐसे सभी मामलों में जिनमें ऊपरी आयु सीमा में छूट (इस विज्ञापन के पैरा 2 में उल्लिखित) का लाभ लिए जाने के कारण अथवा अन्यथा, सेवानिवृत्ति होने पर अभ्यर्थी को पूरी पेंशन का लाभ नहीं मिल सकता, तो संबंधित अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति से पहले यह वचनबंध देगा कि वह समझता है कि उसे पूरी पेंशन नहीं मिलेगी।

XI. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडबल्यूएस) के लिए आय और संपत्ति के मानदंड :

लोक सभा सचिवालय के भर्ती और सेवा की शर्तों संबंधी दिनांक 29 मार्च, 2019 के आदेश संख्या पीडीए-1392/2019 के अनुसार वे व्यक्ति जो अ.ज.,अ.ज.जा.और अ.पि.व. के लिए निर्धारित आरक्षण योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं तथा जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय **8 लाख रूपये (मात्र आठ लाख रूपये)** से कम है उन्हें आरक्षण का लाभ प्रदान करने के लिए ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में रखा जाएगा। इस आय में आवेदन के वर्ष से पिछले वित्तीय वर्ष हेतु सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, कारोबार, व्यवसाय, आदि से प्राप्त आय सम्मिलित है।

इसके अतिरिक्त, जिनके परिवार के स्वामित्व में अथवा जिनके पास निम्नलिखित में से कोई भी सम्पत्ति है, उन्हें उनकी पारिवारिक आय का संज्ञान लिए बिना ईडब्ल्यूएस की श्रेणी से बाहर रखा जाएगा।

(i) 5 एकड़ और उससे अधिक कृषि भूमि ;

(ii) 1000 वर्ग फीट और उससे अधिक माप के आवासीय फ्लैट;

(iii) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक के आवासीय भूखंड (प्लाट) ;

(iv) अधिसूचित नगरपालिकाओं के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक के आवासीय भूखंड (प्लाट) ;

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दर्जे का निर्धारण करने के लिए, भूमि अथवा संपत्ति के स्वामित्व की गणना करते समय किसी भी परिवार के स्वामित्व में विभिन्न स्थानों अथवा क्षेत्रों/शहरों की भूमि या संपत्ति को भी सम्मिलित किया गया है।

इस प्रयोजनार्थ 'परिवार' शब्द के अंतर्गत वह व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता तथा 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन, साथ ही उसका पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल हैं।

XII. जाति/वर्ग प्रमाणपत्र (त्रों) :

(i) प्रमाण पत्र में भरा गया आवेदक का नाम तथा उसके माता-पिता का नाम वही होना चाहिए जो मैट्रिक के प्रमाण पत्र में अंकित है। यदि प्रमाण पत्र अंग्रेजी/हिन्दी के अतिरिक्त

अन्य भाषा में है, तो आवेदक द्वारा उसका अंग्रेजी अथवा हिन्दी में **स्कैन किया गया** स्व-अनुप्रमाणित अनूदित पाठ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(ii) यदि अभ्यर्थी अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के अंतर्गत आवेदन करता है तो प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी की जाति; अधिनियम/आदेश जिसके द्वारा उस जाति को अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. घोषित किया गया है; और गांव/कस्बा जहां का अभ्यर्थी सामान्यतः निवासी है, का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

(iii) अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व. प्रमाण पत्र में जाति और/अथवा उपजाति का नाम बिल्कुल केन्द्रीय सूची के अनुसार होना चाहिए जैसा कि अ.जा. के मामले में वेबसाइट https://www.socialjustice.nic.in, अ.ज.जा. के मामले में https://www.tribal.nic.in और अ.पि.व. के मामले में https://www.ncbc.nic.in पर उपलब्ध है।

प्रमाण पत्र पर कम से कम तहसीलदार स्तर के सक्षम प्रधिकारी द्वारा अपने पदनाम की स्पष्ट मोहर के साथ हिन्दी अथवा अंग्रेजी में हस्ताक्षर होने चाहिए। प्रमाण पत्र पर प्रमाणपत्र जारी करने वाले संबंधित प्राधिकारी/कार्यालय की गोल मोहर लगी होनी चाहिए। यदि गोल मोहर क्षेत्रीय भाषा में हो तो, अंग्रेजी अथवा हिन्दी में दूसरी मोहर भी लगी होनी चाहिए।

(iv) यदि किसी राज्य में रह रहे अभ्यर्थी को दूसरे राज्य में उसके माता-पिता को जारी संबंधित प्रमाण पत्र के आधार पर अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. प्रमाण पत्र जारी किया गया है तो संगत प्रवास संबंधी खंड को सही प्रकार से भरा जाना चाहिए।

(v) अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.) का आशय उन समुदायों से है जो केंद्र सरकार की पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल और विनिर्दिष्ट किए गए हैं। अभ्यर्थी के अ.पि.व. प्रमाणपत्र में यह अवश्य दर्शाया जाना चाहिए कि अभ्यर्थी जिस जाति से संबंध रखता है, वह भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय/ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के विभिन्न संकल्पों के अंतर्गत अ.पि.व. के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, और यह कि वह व्यक्ति क्रीमी

लेयर वर्ग से संबंधित नहीं है । अ.पि.व. के अभ्यर्थियों को अ.पि.व. प्रमाणपत्र के अतिरिक्त एक वचनबंध (**अनुबंध-II**) देना होगा।

(vi) यदि कोई अ.पि.व. प्रमाणपत्र 01.04.2020 से पहले जारी किया गया हो तो अन्य बातों के साथ-साथ उपरोक्त (एक) से (पांच) में उल्लिखित शर्तों को पूरा करते हुए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं. 36012/22/93-स्था. (एससीटी) दिनांक 08.09.1993 में विहित आदेशों के अनुसार और यह प्रमाणित करते हुए कि अभ्यर्थी उक्त समय-समय पर यथासंशोधित का.ज्ञा., की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है, एक नया प्रमाणपत्र बनवाया जाना चाहिए।

(vii) ईडब्ल्यूएस आवेदकों को **अनुबंध-III** के अनुसार **स्कैन किया गया** स्व-अनुप्रमाणित आय और परिसंपत्ति संबंधी प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा।

XIII. अंकों का कट-ऑफ प्रतिशत : किसी भी परीक्षा में लिखित परीक्षा एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार में अंकों का न्यूनतम कट-ऑफ प्रतिशत सामान्य/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग , अ.पि.व. और अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणियों में रिक्त पदों के लिए क्रमशः 50%, 45% और 40% है । (इस विज्ञापन के पैरा 1 में अ.ज. की किसी रिक्ति का उल्लेख नहीं किया गया है।) ये प्रतिशत न्यूनतम अंक हैं जो किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्नपत्र/घटक में और लिखित परीक्षा में कुल मिलाकर और व्यक्तिगत साक्षात्कार में कुल मिलाकर प्राप्त किए जाने अपेक्षित हैं।

वाक्-कौशल परीक्षा एवं साथ-साथ भाषांतरण परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों को प्रत्येक घटक/मानक में न्यूनतम 50% अंक लाने होंगे।

तथापि, रिक्तियों की तुलना में अभ्यर्थियों का यथोचित अनुपात सुनिश्चित करने के लिए किसी एक घटक/प्रश्नपत्र/कुल अंकों मे कट-ऑफ प्रतिशत को बढ़ाया जा सकता है।

XIV रिक्तियों की संख्या : पदों के संबंध में रिक्तियों की निर्धारित संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।

XV. **भर्ती कार्यक्रम को निरस्त करने का अधिकार :** लोक सभा सचिवालय को बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना कोई कारण बताये किसी भी चरण में किसी भी पद (पदों) से संबंधित भर्ती कार्यक्रम को निरस्त करने का अधिकार है।

XVI. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 18.08.2020 है।

XVII. अभ्यर्थी अपने **आवेदन** निर्धारित अंतिम तिथि को अथवा उससे पूर्व **ई-मेल** करें। भर्ती शाखा द्वारा आवेदन की पावती को **केवल ई-मेल** द्वारा स्वीकार किया जाएगा। तथापि, यदि कोई अभ्यर्थी पद के लिए आवेदन करने के बाद तीन कार्य दिवस तक ऐसी पावती नहीं प्राप्त करता है, तो वह भर्ती शाखा को दूरभाष 011-23034521 पर संपर्क कर सकता /सकती है। तत्पश्चात आवेदनों की भर्ती शाखा द्वारा जांच की जाएगी और केवल पात्र अभ्यर्थियों को परीक्षा सूचना पत्र(कॉल लेटर)भेजे जाएंगे। केवल आवेदन भेजे जाने मात्र से किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में बुलाए जाने का अधिकार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, परीक्षा के सभी चरणों पर अभ्यर्थियों का प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा और यह निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन होगा।

XVIII. अभ्यर्थियों का शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिए। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चिकित्सकीय रूप से योग्य पाये जाने के अध्यधीन होगी। विधिवत रूप से चयन किए जाने के पश्चात नियुक्ति से पहले उन्हें चिकित्सा जाँच करानी होगी।

XIX. परीक्षा केद्र परिसरों में मोबाइल, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और बेतार उपकरण लाना मना है। किसी अभ्यर्थी द्वारा ऐसे उपकरणों को स्विच ऑन या स्विच ऑफ मोड में अपने पास रखना लोक सभा सचिवालय द्वारा धोखा-धड़ी करना माना जाएगा एवं ऐसा करने पर उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और/या उसे लोक सभा सचिवालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा।

XX. आवेदकों को सलाह की जाती है कि निम्नलिखित के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए समय-समय पर वेबसाइट **http://www.loksabha.nic.in** --->**Recruitment** --->**Advertisements and Notices** का अवलोकन करते रहें :-

(i) इस विज्ञापन को रद्द किए जाने या परिशिष्ट या शुद्धिपत्र, संबंधी जानकारी यदि कोई हो;

(ii) वाक्-कौशल परीक्षा/लिखित परीक्षा/साथ-साथ भाषांतरण परीक्षा/व्यक्तिगत साक्षात्कार की तिथि (तिथियों); और

(iii) परीक्षा प्रक्रिया के परिणाम (परिणामों) ।

XXI. इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सभी मामलों और विवादों ,यदि कोई हों तो, का निपटान और उन पर निर्णय लेने का अधिकार नई दिल्ली स्थित माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय को होगा।

******

अनुक्रमांक

(भर्ती शाखा द्वारा भरा जाना है)

भारत की संसद

(भर्ती शाखा, लोक सभा सचिवालय)

आवेदन प्ररूप

हाल ही में खींचा गया
स्व अनुप्रमाणित पासपोर्ट
आकार का फोटोग्राफ
चिपकाएं

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

विज्ञापन सं0 2/2020

आवेदित पद का नाम: संसदीय भाषांतरकार (……………)
(कृपया भाषा दर्शाए)

1. पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :

प्रथम नाम मध्य नाम उपनाम

(जैसा कि मैट्रिक के अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र में अंकित है। नाम के प्रत्येक भाग के बीच में कृपया एक बॉक्स खाली छोड़ें)

2. पिता का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :..
(जैसा कि आवेदक के मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र में अंकित है।)

3. माता का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :..

(जैसा कि आवेदक के मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र में अंकित है।)

4. राष्ट्रीयता :...

5. पत्र-व्यवहार का पता :...
....
....पिन.......................
दूरभाष/मोबाइल सं; ……………………………… ई-मेल पता ....

6. विगत 5 वर्षों के दौरान निवास स्थान का ब्यौरा जहां आवेदक ने एक वर्ष से अधिक समय तक निवास किया है:

पता	निवास की अवधि

7. स्थायी पता: ..
....
....
.... पिन
....

8. जन्म तिथि: तिथि माह वर्ष

		--			--				

(कृपया मैट्रिक के प्रमाण पत्र की स्व-अनुप्रमाणित स्कैन की गई प्रति संलग्न करें)

9. जन्म स्थान (गांव/नगर/शहर/जिला/राज्य) :...

10. 18.08.2020 को आयु : वर्ष………………माह...............दिन.............

11. श्रेणी (सामान्य/अजा/अजजा/अपिव/ई.डब्ल्यू.एस) ....

(अ.जा./अ.ज.जा./अपिव/ई.डब्ल्यू.एस श्रेणी के अभ्यर्थी प्रमाण स्वरूप प्रमाणपत्र की स्व-अनुप्रमाणित स्कैन की गई प्रति अवश्य संलग्न करें)

12. आयु में छूट का दावा करने का आधार :...

13. क. क्या आप भूतपूर्व सैनिक/सेवा के अंतिम वर्ष में हैं हां/नहीं

ख. यदि हां, आपकी ज्वाइन करने की तिथि .... सेवा मुक्ति की तिथि ....

(कृपया डिस्चार्ज बुक/पुन:रोजगार प्राप्त करने की अनुमति के संगत पृष्ठों की स्व-अनुप्रमाणित स्कैन की गई प्रति संलग्न करें)

ग. क्या आपको चिकित्सकीय आधार पर बोर्ड आउट अथवा मुक्त किया गया है और चिकित्सा निशक्तता पेंशन प्रदान की गई है । हां/नहीं

14. शैक्षणिक तथा तकनीकी योग्यताओं का विवरण:

(कृपया प्रमाण पत्रों/उपाधियों और अंक पत्रों की भी स्व-अनुप्रमाणित स्कैन की गई प्रति संलग्न करें)

क. शैक्षणिक योग्यताएं :

उत्तीर्ण परीक्षा	संस्था/ विश्वविद्यालय/ बोर्ड	अध्ययन किए गए विषय	शिक्षा का माध्यम*	अध्ययन की अवधि	उत्तीर्ण करने का वर्ष	अंक प्रतिशतता

* **टिप्पणी** : अंग्रेजी/हिन्दी भाषा में भाषांतरकार हेतु स्नातक स्तर तक और क्षेत्रीय भाषा के भाषांतरकार हेतु स्नातकोत्तर में 'शिक्षा का माध्यम' के संबंध में आवेदन पत्र में आवेदक के दावे स्नातक और स्नातकोत्तर के मामले में संबंधित विश्वविद्यालय के पंजीयक अथवा परीक्षा नियंत्रक/महाविद्यालय के प्राचार्य और दसवीं अथवा बारहवीं कक्षाओं अथवा समतुल्य योग्यताओं के मामले में बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक अथवा अन्य कोई सक्षम अधिकारी/विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र की स्व-अनुप्रमाणित स्कैन की गई प्रति भेजने पर ही स्वीकार किए जाएंगे, जिनमें संबंधित योग्यता की 'शिक्षा का माध्यम' का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा । यदि आवेदक द्वारा अपेक्षित प्रमाण-पत्र की स्व-अनुप्रमाणित स्कैन की गई प्रति प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो उसके आवेदन को बिना विचार किए अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

ख. व्यावसायिक/तकनीकी योग्यताएं :

उत्तीर्ण परीक्षा	संस्था/ विश्वविद्यालय	अध्ययन किए गए विषय	शिक्षा का माध्यम	अध्ययन की अवधि	उत्तीण करने का वर्ष	अंक प्रतिशतता

15. अनुभव का विवरण

क. सरकारी सेवा

सरकारी संगठन का नाम	धारित पद	वेतनमान*	सेवा की अवधि (वास्तविक तारीखें दी जाएं) (से – तक)	नियमित हैं या नहीं	किए गए कार्यों की प्रकृति

*कृपया जहां कहीं लागू हों, ग्रेड पे/पे-मैट्रिक में स्तर भी इंगित करें।

ख. अन्य संगठनों में की गई सेवा

संगठन का नाम	संगठन की स्थिति (सरकारी/पीएसयू/निजी, आदि)	धारित पद	वेतनमान*	सेवा की अवधि (से – तक)	नियमित हैं या नहीं	किए गए कार्यों की प्रकृति

*कृपया जहां कहीं लागू हो, गेड पे/पे मैर्टिक्स में स्तर भी इंगित करें।

16. कृपया स्पष्ट रूप से इंगित करें कि उपरोक्त कॉलम 15 में वर्णित अनुभव निम्न में से कहां से प्राप्त किया गया है:

क्रम सं.	श्रेणी	उचित कालम में (✔) का निशान लगाएं
1.	केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन कार्यालय	
2.	संघ/राज्य विधान मंडल सचिवालय	
3.	उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/अधीनस्थ न्यायालय	
4.	केन्द्र/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	
5.	केन्द्र/राज्यों के सांविधिक निगम	
6.	केन्द्र/राज्य सरकारों के कानून/अधिसूचनाओं द्वारा स्थापित आयोग/न्यायाधिकरण और अन्य संस्थान	
7.	निजी संस्थाएं/अन्य संस्थान	

17. क्या आप आवेदित पद के लिए यथाअपेक्षित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं रखते हैं?.............. हां/ नहीं

18. क्या आप आवेदित पद के लिए यथानिर्धारित वांछित अनुभव रखते हैं? ………………… हां/नहीं/

19. क्या आप वांछनीय योग्यता रखते हैं?.....................................हां/नहीं

20. केवल सिन्धी भाषा के आवेदकों हेतु परीक्षा देने के लिए चुना गया शहर (कृपया विज्ञापन के पैरा 4 का

संदर्भ ग्रहण करें)

(चुने गए शहर को ✔ करें) मुंबई अथवा गांधीनगर/अहमदाबाद

21. **घोषणा:**

(एक). मैं घोषणा करता/करती हूं कि मैं विज्ञापन में दी गई पात्रता संबंधी शर्तो को पूरा करता/करती हूं तथा इस आवेदन-पत्र में दिया गया संपूर्ण विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण और सही है। मैं यह समझता/समझती हूं कि यदि किसी भी चरण में कोई भी सूचना झूठी या गलत पाई गई या विज्ञापन में किए गए उल्लेख के अनुरूप यदि मैं पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करता/करती हूं तो मेरी पात्रता/नियुक्ति रद्द/समाप्त की जा सकती है।

(दो). मैंने पूर्णत: भरा हुआ स्कैन किया हुआ उपस्थिति पत्र संलग्न कर दिया है और उस पर हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ चिपका दिया है।

स्थान:

तिथि:

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

टिप्पणी:1. कॉलम संख्या 8, 11 (जहां लागू हो), 13 (जहां लागू हो), 14 में यथा उल्लिखित आवश्यक प्रमाणपत्रों की स्व-अनुप्रमाणित स्कैन की गई प्रतियों और आवेदन प्रपत्र तथा उपस्थिति पत्र में निर्धारित स्थानों पर हाल ही में खींचे गये समान फोटोग्राफ को चिपकाए बिना प्राप्त आवेदनों को बिना विचार किये अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

2. अपेक्षित दस्तावेजों सहित आवेदन प्रपत्र की केवल स्कैन की गई प्रतियां ही स्वीकार की जाएंगी। ऊपर यथा विहित डिजिटल फार्मेट के अतिरिक्त प्राप्त आवेदन पत्र को बिना विचार किये अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

3. अपने संलग्नकों सहित और सभी प्रकार से पूर्ण हस्ताक्षरित आवेदन की एकल/समेकित स्कैन पीडीएफ फाईल recruitment-lss@sansad.nic.in मेल पर भेजी जाए। संलग्न स्कैन पीडीएफ के फाइल नाम में आवेदक का नाम और जन्म की तिथि अनिवार्य रूप से दर्शायी जाए।

<u>भारत की संसद</u>

(भर्ती शाखा, लोक सभा सचिवालय)

<u>उपस्थिति पत्र</u>

(अभ्यर्थी द्वारा आवेदन फार्म जमा करते समय अलग पत्र में भरा जाएगा)

1. विज्ञापन सं. 2/2020

हाल ही में खींचा गया स्व-प्रमाणित पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपकाएं

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

2. **पद का नाम: <u>संसदीय भाषांतरकारः</u>**………………

(कृपया भाषा दर्शाए)

3. **नाम** (स्पष्ट अक्षरों में) :--
4. **श्रेणी :--.**
5. **पिता का नाम** *(स्पष्ट अक्षरों में)* **:---**
6. **माता का नाम** *(स्पष्ट अक्षरों में)*:**---**
7. **पत्र – व्यवहार का पता :---**

--पिन-----------------

(परीक्षा स्थल पर अभ्यर्थी द्वारा भरा जायेगा)

8.

विषय	परीक्षा की तारीख	हस्ताक्षर

9.

अनुक्रमांक	

(भर्ती शाखा द्वारा आबंटित किया जायेगा)

अनुबंध-एक

(कृपया विज्ञापन का पैरा 5.X देखें)

वचनबंध

मैं यह समझता/समझती हूं कि मैं लोक सभा सचिवालय में संसदीय भाषांतरकार (विज्ञापन सं. 2/2020 के द्वारा अधिसूचित रिक्तियां) के पद पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होऊंगा/होऊंगी, यदि मैंने ऐसी नियुक्ति से पहले किसी भी समय, का.एवं प्र.वि. के का.ज्ञा.सं. 36034/1/2014-स्था. (आरईएस) दिनांक 14.08.2014 के अनुसार के सिवाय, भूतपूर्व सैनिकों के लिए अनुमेय रिक्तियों के आरक्षण की छूट का लाभ प्राप्त कर सिविल साईड में कोई रोजगार प्राप्त किया हो।

हस्ताक्षर………………….

नाम……………………..

दिनांक……………………...

अनुबंध-दो

अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा का प्रपत्र (वर्ग प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त)

मैं……………………………सुपुत्र/सुपुत्री……………………………निवासी ग्राम/कस्बा/शहर…………………..जिला………………………..राज्य………………………एत द्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूं कि मैं…………समुदाय से सम्बद्ध हूं जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.1993 के का.ज्ञा.सं. 36012/22/93-स्था. (एस.सी.टी.) में अंतर्विष्ट आदेश के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक मैं ऊपर संदर्भित कार्यालय ज्ञापन, दिनांक 09 मार्च, 2004 के का.ज्ञा.सं. 36033/3/2004-स्था. (आरक्षण), दिनांक 14 अक्तूबर, 2008 के का.ज्ञा. सं. 36033/3/2004 स्था. (आरक्षण), दिनांक 27 मई, 2013 के कार्यालय ज्ञा. सं. 36033/1/2013 स्था. (आरक्षण) और दिनांक 13 सितम्बर, 2017 के का.ज्ञा.सं. 36033/1/2013-स्था. (आरक्षण) की अनुसूची के क़ॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्ग अर्थात् क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हूं।

2. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि मैं विज्ञापन सं. 2/2020 में अंतर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार संसदीय भाषांतरकार पद के लिए लिखित परीक्षा से पूर्व अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करूंगा/करूंगी अन्यथा, मेरी अभ्यर्थिता/आवेदन पर सामान्य (अनारक्षित) वर्ग के अंतर्गत विचार किया जाएगा।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षरः……………………

पूरा नामः…………;;;………………

स्थानः…………;;…………………

दिनांक:................;;......................

अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए घोषणापत्र/वचनबंध को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

<u>**अनुबंध-तीन**</u>

................सरकार

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय और परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र सं......
दिनांकः........

.........वर्ष के लिए मान्य

यह प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी/श्रीमती/श्री..............................सुपुत्री/पत्नी/सुपुत्र श्री.................... स्थायी निवासी ग्राम/गली............डाकघर...........जिला.........राज्य/संघ राज्य क्षेत्र.............पिनकोड.............., जिसका अनुप्रमाणित फोटोग्राफ नीचे चिपका हुआ है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित है चूंकि, वित्तीय वर्ष..........के दौरान उसके परिवार** की सकल वार्षिक आय* 8 लाख रूपए (केवल आठ लाख रूपए) से कम है। उसके परिवार के स्वामित्व में अथवा उसके पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति नहीं है***

(एक) 5 एकड़ या उससे अधिक क्षेत्रफल की कृषि भूमि;
(दो) 1000 वर्ग फीट या उससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय फ्लैट;
(तीन) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय भूखंड (प्लाट);
(चार) अधिसूचित नगरपालिकाओं के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय भूखंड (प्लाट)।

2. कुमारी/श्रीमती/श्री....................जाति से संबंधित है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्र सूची) के तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की मोहर सहित हस्ताक्षर.............
नाम.......................................
पदनाम...................................

आवेदक का हाल का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटोग्राफ

---

*टिप्पणी 1: सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, कारोबार, व्यवसाय, आदि से अर्जित आय सम्मिलित है।
** टिप्पणी 2: इस प्रयोजनार्थ 'परिवार' शब्द के अंतर्गत वह व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ प्राप्त करना चाहता है, उसके माता-पिता तथा 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन के अलावा उसका पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं।
*** टिप्पणी 3: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दर्जे का निर्धारण करने के लिए, भूमि अथवा संपत्ति के स्वामित्व की गणना करते समय किसी भी परिवार के स्वामित्व में विभिन्न स्थानों अथवा क्षेत्रों/शहरों की भूमि या संपत्ति को भी सम्मिलित किया गया है।

<u>आय और परिसंपत्ति का प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु अधिकृत प्राधिकारी</u>

उपरोक्त निर्धारित प्रपत्र में निम्नलिखित में से किसी एक प्राधिकारी द्वारा जारी आय और परिसंपत्ति के प्रमाणपत्र को ही ईडब्ल्यूएस से संबंधित अभ्यर्थी के दावे के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगाः-

(एक) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्तः

(दो) मुख्य प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट;

(तीन) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से नीचे के रैंक का न हो; तथा

(चार) उस क्षेत्र के सब डिविजनल अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/अथवा उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।